

न्यायालय, सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी

मुकाम श्रीकरणपुर, जिला श्री गंगानगर

पीठासीन अधिकारी : श्री श्योराम {आर.ए.एस.}

प्रकरण संख्या: 241/2023(जी.सी.एम.एस. 2023/304)

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. अंग्रेज सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख आयु 65 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर	1. गुरजीत सिंह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
2. जसकरण सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख आयु 38 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर	2. जलन्धर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
3. हरदेव सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख आयु 66 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर	3. दर्शन सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
4. बलकरण सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख आयु 40 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर	4. निशान सिंह पुत्र गुरां सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
	5. प्रगट सिंह पुत्र गुरां सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
	6. वीर कौर पत्नी दर्शन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर।	
	7. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीकरणपुर।	

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53, 88, 91 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

तारीख रजू 19.07.2023

उपस्थित: 1. श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा, श्री सुखविन्द्र सिंह अधिवक्ता वादीगण

--निर्णय--

दिनांक: 12.03.2024

1. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि चक 3 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मु0नं0 8, 16, 53, 56/31 की कुल 3.122 है0 नहरी भूमि में से 0.598 है0 एवं इसी चक के खाता संख्या 48/45 के मु0नं0 17, 18, 56/3, 56/45 की कुल 3.313 है0 नहरी भूमि में से 0.063 है0 एवं इसी चक के खाता संख्या 8/8 के मु0नं0 33, 46 की कुल 5.589 है0 नहरी भूमि में से 0.063 है0 इस प्रकार तीनों खातों में कुल 0.724 है0 नहरी भूमि वादी संख्या 1 अंग्रेज सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। चक 3 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मु0नं0 8, 16, 53, 56/31 की कुल 3.122 है0 नहरी भूमि में से 0.202 है0 एवं इसी चक के खाता संख्या 48/45 के मु0नं0 17, 18, 56/3, 56/45 की कुल 3.313 है0 नहरी भूमि में से 1.581 है0 एवं इसी चक के खाता संख्या 8/8 के मु0नं0 33, 46 की कुल 5.589 है0 नहरी भूमि में से 0.671 है0 इस प्रकार तीनों खातों में कुल 2.454 है0 नहरी भूमि वादी संख्या 2 जसकरण सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। चक 3 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मु0नं0 8, 16, 53, 56/31 की कुल 3.122 है0 नहरी भूमि में से 1.121 है0 एवं इसी चक के खाता संख्या 8/8 के मु0नं0 33, 46 की कुल 5.589 है0 नहरी भूमि में से 0.303 है0 इस प्रकार दोनों खातों में कुल 1.424 है0 नहरी भूमि वादी संख्या 3 हरदेव सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। चक 3 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मु0नं0 8, 16, 53, 56/31 की कुल 3.122 है0 नहरी भूमि में से 0.568 है0 एवं इसी चक के खाता संख्या 48/45 के मु0नं0 17, 18, 56/3, 56/45 की कुल 3.313 है0 नहरी भूमि में से 1.581 है0 एवं इसी चक के खाता संख्या 8/8 के मु0नं0 33, 46 की कुल 5.589 है0 नहरी भूमि में से 0.670 है0 इस प्रकार तीनों खातों में कुल 2.819 है0 नहरी भूमि वादी संख्या 4 बलकरण सिंह के नाम खातेदारी दर्ज है। वादीगण एवं प्रतिवादीगण ने काश्त की सहूलियत के लिए अपने-अपने हिस्सा की भूमि का वाहमू बंटवारा किया हुआ है। वादी संख्या 1 व 2 को तहसील श्रीकरणपुर के चक 3 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत् 2073 ता 2076 के मु0नं0 18 के किला नं0 5, 6, 15, 16 प्रत्येक सालम, किला नं0 25 के 0.227 है0 एवं मु0नं0 56/45 की 0.026 है0 कुल 1.265 है0 एवं मु0नं0 16 के किला नं0 1/2 की 0.12 है0, किला नं0 2/2 की 0.013, किला नं0 3/2 की 0.013 है0, किला नं0 4/2 की 0.012 है0, किला नं0 5/2 की 0.013 है0 कुल 0.063 है0 एवं



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

मु0नं0 17 के किला नं0 2/2 की 0.228 है0, किला नं0 8/2 की 0.025 है0, किला नं0 9 की 0.253 है0, किला नं0 11 की 0.042 है0, किला 12 की 0.253 है0, किला नं0 13/2 की 0.025 है0, किला नं0 20 की 0.228 है0, किला नं0 21 की 0.202 व मु0नं0 56/3 की 0.101 है0 गैरमुमकिन खाला कुल 1.357 है0 एवं मु0नं0 33 के किला नं0 6 की 0.013 है0, किला नं0 15 की 0.253 है0, किला नं0 16 की 0.227 है0 कुल 0.493 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादी संख्या 3 व 4 को चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरनपुर की जमाबन्दी सम्बत् 2073 ता 2076 के मु0नं0 8 के किला नं0 11 की 0.228 है0, किला नं0 12, 13, 14, 17, 18, 19 प्रत्येक सालम, किला नं0 20 की 0.228 है0, किला नं0 21 की 0.202 है0, किला नं0 22 ता 24 प्रत्येक 0.227 है0 एवं मु0नं0 56/31 की 0.101 है0 गैरमुमकिन खाला कुल 2.958 है0 एवं मु0नं0 53 के किला नं0 16/3 की 0.101 है0 एवं मु0नं0 17 के किला नं0 1 की 0.227 है0, किला नं0 10 की 0.228 है0, किला नं0 11 की 0.185 है0 व मु0नं0 56/3 की 0.051 है0 गैरमुमकिन खाला कुल 0.691 है0 एवं मु0नं0 33 के किला नं0 5 की 0.253 है0, किला नं0 6 की 0.240 है0 कुल 0.493 हैक्टेयर भूमि प्राप्त हुई है। वादीगण की उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन नहीं हुआ है। वादीगण वाहमी बंटवारा में प्राप्त उक्त भूमि का विधिवत् विभाजन करवाना चाहते हैं, ताकि भविष्य में आने वाली परेशानियों से बचा जा सके, चूंकि मुश्तर्का खाता की भूमि में पानी की बारी, रास्ता, मुआवजा आदि को लेकर परेशानिया बनी रहती है, जिनके निवारण के लिए वादीगण खाता विभाजन करवाना चाहते हैं, जिसके वह अधिकारी है। वादपत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार, श्रवणाधिकार व पूर्ण कोर्ट फीस पर पेश है। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वाहमी बंटवारानामा अनुसार पक्षकारान का विधिवत जोत विभाजन करवाया जाकर, वादीगण का अन्य सहखातेदारान से उनके कब्जा व काश्त अनुरूप किलावाइज विभाजन करवाकर खाता व लगान अलग से कायम करने के आदेश प्रदान किए जावे।

2. वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिए सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 न्यायालय में स्वयं उपस्थित आया व जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम पेश किया। काउन्टर क्लेम के अनुसार चक 3 एफ सी के खाता संख्या 8/8 के मुरब्बा नम्बर 33 के किला नम्बर 18/2 की 0.177 हैक्टेयर, किला नम्बर 19 सालम, किला नम्बर 20 की 0.114 हैक्टेयर, किला नम्बर 21 की 0.240 हैक्टेयर, किला नम्बर 22 सालम, किला नम्बर 23/2 की 0.077 हैक्टेयर, किला नम्बर 23/3 की 0.100 हैक्टेयर एवं मुरब्बा नम्बर 46 के किला नम्बर 1/1 की 0.126 हैक्टेयर, किला नम्बर 10 सालम, किला नम्बर 11/2 की 0.051 हैक्टेयर कुल 1.644 हैक्टेयर भूमि का खाता व लगान अलग से प्रतिवादी संख्या 2 के नाम कायम किए जाने के आदेश प्रदान करे। प्रतिवादी संख्या 1, 3 ता 6 बावजूद तामील उपस्थित नहीं आने पर इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश दिए गए। वादीगण को प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम स्वीकार है। प्रतिवादी संख्या 2 को वादीगण का वादपत्र स्वीकार है। शेष प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही के आदेश है। इसलिए प्रकरण में वाद विन्दू कायम नहीं किए गए। अधिवक्तागण के द्वारा निवेदन किया कि प्रकरण में मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड प्राथमिक डिक्री जारी कर तहसीलदार श्रीकरणपुर से विभाजन प्रस्ताव मंगवाया जाकर वाद पत्र व काउन्टर क्लेम डिक्री किये जाने के आदेश दिये जावे।
3. पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वादपत्र मय शपथपत्र, जवाबदावा मय काउन्टर क्लेम एवं दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया तथा बहस पर गौर कर मनन किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 अपनी आराजी का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स किया गया। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के राजस्व रिकॉर्ड दर्ज भूमि अनुसार तकासमा चाहते हैं। लिहाजा वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्से की भूमि का बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के बंटवारा की प्राथमिक डिक्री जारी कर बंटवारा करवाया जाना उचित समझते हुए माफिक प्राथमिक डिक्री इस आशय की जारी की गई कि चक 3 एफ सी की जमाबन्दी सम्बत् 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मुरब्बा नम्बर 8, 16, 53, 56/31 की कुल 3.122 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 48/45 के मुरब्बा नम्बर 17, 18, 56/3, 56/45 की कुल 3.313 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 08/08 के मुरब्बा नम्बर 33, 46 की कुल 5.589 हैक्टेयर भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसका माफिक राजस्व रिकॉर्ड, हिस्से माफिक भूमि का वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के मध्य बंटवारा मौके पर बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स करवाया जाकर खाता एवं लगान अलग-अलग किया जावे।

उपस्थण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

तहसीलदार श्रीकरणपुर को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना में विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा अधिकृत किया गया तहसीलदार श्रीकरणपुर ने प्राथमिक डिक्री की पालना में बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा सहित प्रस्तुत की, सामिल मिसल की गई।

4. बहस उभयपक्ष अधिवक्तागण सुनी गई, बहस के दौरान अधिवक्तागण ने माफिक बंटवारा रिपोर्ट विभाजन प्रस्ताव वादीगण का वादपत्र व प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किये जाने की ईशतदुआ की है। बहस अधिवक्तागण व तहसीलदार श्रीकरणपुर से प्राप्त पालना रिपोर्ट पर गौर किया। लिहाजा माफिक बंटवारा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा वादीगण का वाद पत्र व प्रतिवादी संख्या 2 का काउन्टर क्लेम डिक्री किया जाकर बंटवारा किया जाना हम उचित समझते हैं।

--:आदेश:-

5. अतः अंतिम डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की जारी की जाती है कि चक 3 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मुरब्बा नम्बर 8, 16, 53, 56/31 की कुल 3.122 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 48/45 के मुरब्बा नम्बर 17, 18, 56/3, 56/45 की कुल 3.313 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 08/08 के मुरब्बा नम्बर 33, 46 की कुल 5.589 हैक्टेयर भूमि में से वादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र. सं.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान	
1	अंग्रेज सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख आयु 65 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर (0.725 हैक्टेयर) जसकरण सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख आयु 38 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर (2.454 हैक्टेयर)	3 एफ सी	16	1/2	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.08	
				2/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09	
				3/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09	
				4/2	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.08	
				5/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09	
				17	1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.57
					2/2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
					8/2	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.17
					9	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
					10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
			11		0.143 हैक्टेयर	नहरी	0.99	
			12		0.143 हैक्टेयर	नहरी	0.99	
			13/2		0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.17	
			18		5	0.240 हैक्टेयर	नहरी	1.66
					6	0.240 हैक्टेयर	नहरी	1.66
				15	0.240 हैक्टेयर	नहरी	1.66	
				16	0.240 हैक्टेयर	नहरी	1.66	
				25	0.214 हैक्टेयर	नहरी	1.48	
				33	11	0.064 हैक्टेयर	नहरी	0.44
			12		0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75	
13/2	0.176 हैक्टेयर	नहरी	1.22					
56/3				0.026 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00		
				0.151 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00		
2	हरदेव सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख आयु 66 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर (1.424 हैक्टेयर) बलकरण सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख आयु 40	3 एफ सी	8	11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58	
				12,13,14	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.25	
				17,18,19	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.25	
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58	
				21	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.40	
				22	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.57	
				23	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.57	
				24	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.57	

उपस्थण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील (2.818 हैक्टेयर) श्रीकरनपुर	17	11	0.085 हैक्टेयर	नहरी	0.59	
		12	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.76	
		20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58	
		21	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.40	
		18	5	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09
			6	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09
			15	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09
			16	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09
			25	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09
		53	16/3	0.101 हैक्टेयर	नहरी	0.70
		56/31		0.101 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00
		33	13	0.039 हैक्टेयर	नहरी	0.27
			17	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.40
			24	0.252 हैक्टेयर	नहरी	1.74
3	3 एफ सी	46	1/1	0.126 हैक्टेयर	नहरी	0.87
			10	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
			11/2	0.051 हैक्टेयर	नहरी	0.35
		33	18/2	0.177 हैक्टेयर	नहरी	1.22
			19	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
			20	0.114 हैक्टेयर	नहरी	0.79
			21	0.240 हैक्टेयर	नहरी	1.66
			22	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
			23/2	0.077 हैक्टेयर	नहरी	0.53
			23/3	0.100 हैक्टेयर	नहरी	0.69

शेष खाता एवं रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/ विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। स्टाम्प ड्यूटी पेश होने पर डिक्री पर्चा बनाया जाकर पत्रावलीबद्ध किया जावे। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जाबता दाखिल दफतर/ लेख भण्डार जमा हो।

{शयोराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरनपुर जिला श्रीनगानगर  
श्री करणपुर

निर्णय आज दिनांक 12.03.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

{शयोराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरनपुर जिला श्रीनगानगर  
श्री करणपुर



# अंतिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

{ऑर्डर 20, रूल 6-7, जाब्ता दीवानी}

(Civil Procedure Code, Appendix "D-1")

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी {राजस्व} मुकाम श्रीकरणपुर

ब इजलास श्री श्योराम (आर.ए.एस.)

अंग्रेज सिंह आदि बनाम गुरजीत सिंह आदि

धारा अन्तर्गत 53 आरटीए मुकदमा नम्बर 241/2023

निर्णय दिनांक :- 12.03.2024

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रुबरु उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) श्रीकरणपुर व हाजरी बाबीगण अधिवक्ता श्री राजेन्द्र सिंह रमाणा पेश होने पर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि चक 3 एफ सी की जमाबन्दी सम्वत 2073 ता 2076 के खाता संख्या 46/46 के मुरब्बा नम्बर 8, 16, 53, 56/31 की कुल 3.122 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 48/45 के मुरब्बा नम्बर 17, 18, 56/3, 56/45 की कुल 3.313 हैक्टेयर भूमि, खाता संख्या 08/08 के मुरब्बा नम्बर 33, 46 की कुल 5.589 हैक्टेयर भूमि में से बादीगण व प्रतिवादी संख्या 2 के हिस्सा की भूमि का बंटवारा अर्थात विभाजन निम्नांकित रूप से किया जाता है:-

क्र.स.	नाम खातेदारान मय वल्लियत सकूनत	राजस्व ग्राम	मु.न.	किला न.	रकबा	किस्म	लगान	
1	अंग्रेज सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख आयु 65 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर (0.725 हैक्टेयर) जसकरण सिंह पुत्र अंग्रेज सिंह जाति जटसिख आयु 38 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर (2.454 हैक्टेयर)	3 एफ सी	16	1/2	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.08	
				2/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09	
				3/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09	
				4/2	0.012 हैक्टेयर	नहरी	0.08	
				5/2	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09	
				17	1	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.57
					2/2	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
					8/2	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.17
					9	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75
					10	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
					11	0.143 हैक्टेयर	नहरी	0.99
			12		0.143 हैक्टेयर	नहरी	0.99	
			18	13/2	0.025 हैक्टेयर	नहरी	0.17	
				5	0.240 हैक्टेयर	नहरी	1.66	
				6	0.240 हैक्टेयर	नहरी	1.66	
				15	0.240 हैक्टेयर	नहरी	1.66	
				16	0.240 हैक्टेयर	नहरी	1.66	
			33	25	0.214 हैक्टेयर	नहरी	1.48	
				11	0.064 हैक्टेयर	नहरी	0.44	
				12	0.253 हैक्टेयर	नहरी	1.75	
				13/2	0.176 हैक्टेयर	नहरी	1.22	
			56/3 56/45		0.026 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00	
					0.151 हैक्टेयर	गै.मु.खा.	0.00	
2	हरदेव सिंह पुत्र भाग सिंह जाति जटसिख आयु 66 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर (1.424 हैक्टेयर) बलकरण सिंह पुत्र हरदेव सिंह जाति जटसिख आयु 40 वर्ष निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर (2.818 हैक्टेयर)	3 एफ सी	8	11	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58	
				12,13,14	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.25	
				17,18,19	0.759 हैक्टेयर	नहरी	5.25	
				20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58	
				21	0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.40	
				22	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.57	
				23	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.57	
				24	0.227 हैक्टेयर	नहरी	1.57	
				17	11	0.085 हैक्टेयर	नहरी	0.59
					12	0.110 हैक्टेयर	नहरी	0.76
					20	0.228 हैक्टेयर	नहरी	1.58
			21		0.202 हैक्टेयर	नहरी	1.40	
			18		5	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09
					6	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09
					15	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09
				16	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09	
				25	0.013 हैक्टेयर	नहरी	0.09	
			53	16/3	0.101 हैक्टेयर	नहरी गै.	0.70	



उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्री करणपुर

			56/31 33	13 17 24	0.101 हैक्टेयर 0.039 हैक्टेयर 0.202 हैक्टेयर 0.252 हैक्टेयर	मु.खा. नहरी नहरी नहरी	0.00 0.27 1.40 1.74
3	जलन्धर सिंह पुत्र गुरबचन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 3 एफ सी तहसील श्रीकरणपुर (1.644 हैक्टेयर)	3 एफ सी	46 33	1/1 10 11/2 18/2 19 20 21 22 23/2 23/3	0.126 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.051 हैक्टेयर 0.177 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.114 हैक्टेयर 0.240 हैक्टेयर 0.253 हैक्टेयर 0.077 हैक्टेयर 0.100 हैक्टेयर	नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी नहरी	0.87 1.75 0.35 1.22 1.75 0.79 1.66 1.75 0.53 0.69

शेष खाता व रहन बदस्तूर रहेगा। तदनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जावे। बंटवारा रिपोर्ट/  
विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा निर्णय का एक भाग माना जावे। उपर्युक्तानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अंकन  
किया जावे।

आज दिनांक 13.03.2024 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्रीकरणपुर

मुददई	रूपया	पैसा	मुदायली	रूपया	पैसा
स्टाम्प अरजीदावा	02	00	स्टाम्प वकालतनामा	00	00
स्टाम्प वकालतनामा	02	00	स्टाम्प अरजी	02	--
स्टाम्प ड्यूटी	1500	00	मेहनताना वकील पर	00	--
योग	1504	00	योग	02	00

{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्रीकरणपुर

क्रमांक: रीडर/ 2024/77

दिनांक: 13.03.2024

प्रतिलिपि: तहसीलदार श्रीकरणपुर को पालनार्थ भेजकर लेख है कि उक्त डिक्री की नियमानुसार पालना कर,  
पालना रिपोर्ट अद्योहस्ताक्षरकर्ता न्यायालय में भिजवाना सुनिश्चित करे।



{श्योराम (आर.ए.एस.)}

सहायक कलक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)  
श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर  
श्रीकरणपुर